

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16-17/प्रथम किस्त/79

दिनांक:-04/05/17

1. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) (समस्त)
2. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (समस्त)

विषय:-आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त तथा सत्र 2016-17 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से पुनर्भरण राशि के भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्रांक:-प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 01.05.17 ।

उपरोक्त प्रासांगिक विषयांतर्गत लेख है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त तथा शैक्षिक सत्र 2016-17 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित गैर सरकारी प्रा/उप्रा/मा/उमा. विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से भुगतान करने हेतु राज्य सरकार ने पत्रांक:- प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 01.05.17 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। अतः उक्त स्वीकृति की पालना में समस्त बीईईओ/जि.शि.अ प्रा.शि/जि.शि.अ मा.शि (प्रथम/द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में पूर्व में जारी पत्रों की पूर्ण पालना करते हुए वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।

1. शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जानी सुनिश्चित करना:-

- (i) राज्य सरकार के पत्रांक- प.9(6) शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.09.15, 18.11.15, 23.11.15 तथा इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.2016, पत्रांक 69 दिनांक 12.02.2016 एवं पत्रांक 357 दिनांक 12.07.16 में दिए गए निर्देशों/उल्लेखित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए भुगतान कार्य सम्पादित किया जावे।
- (ii) जिन गैर सरकारी विद्यालयों को प्रथम किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों के संबंध में पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें द्वितीय किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया जावे।
- (iii) ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाएगा ।

2. शैक्षिक सत्र 2016-17 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जानी सुनिश्चित करना:-

- (i) राज्य सरकार का पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 29.08.16 एवं 04.11.2016 तथा इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक-शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16-17/प्रथम किस्त/24 दिनांक 25.11.16 में दिए गए निर्देशों/उल्लेखित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए भुगतान कार्य सम्पादित करावें।

3. शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त तथा 2016-17 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करें-

- (i) प्राथमिक/उप्रा गैर सरकारी विद्यालय क्लेम बिल की सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ.प्रा.शिक्षा कार्यालयों में प्रेषित करेंगे तथा इसका इन्द्राज आरटीई पोर्टल पर उसी दिन करेंगे । संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा प्राप्त क्लेम बिलों का तत्काल ऑनलाईन पास आर्डर जारी कर पे-मैनेजर पर बिल बनाकर कोषालय प्रेषित करेंगे तथा संबंधित कोषालय/उपकोषालय द्वारा बिल पारित कर गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में राशि अन्तरित करेंगे ।

- (ii) इसी प्रकार माध्यमिक/उमा गैर सरकारी विद्यालय क्लेम बिल की सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित जि.शि.अ. मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों में प्रेषित करेंगे तथा इसका इन्द्राज आरटीई पोर्टल पर उसी दिन करेंगे। संबंधित जि.शि.अ. मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा प्राप्त क्लेम बिलों का तत्काल ऑनलाईन पास आर्डर जारी कर पे-मैनेजर पर बिल बनाकर कोषालय प्रेषित करेंगे तथा संबंधित कोषालय/उपकोषालय द्वारा बिल पारित कर गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में राशि अन्तरित करेंगे।
- (iii) पुनर्भरण हेतु पास आर्डर जारी करने की प्रक्रिया को पे-मैनेजर से इन्टीग्रेट किया जा चुका है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी पास आर्डर जारी करते समय संबंधित अधिकारी/कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस संबंध में पूर्ण सावधानी से कार्य करने के निर्देश देते हुए स्वयं की देखरेख में इस कार्य को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी/कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा लापरवाही से कार्य करने के कारण गलत पास आर्डर जारी किया जाता है तो तत्काल जांच कर उनके विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही करवाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से करें।
- (iv) निदेशालय के ध्यान में आया है कि सत्र 2016-17 में प्रथम किस्त के भुगतान के समय बजट के अभाव अथवा गलत मद में पास आर्डर जारी कर लिये गये थे जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त एवं 2016-17 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण हेतु पास आर्डर जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि जिन गैर सरकारी विद्यालयों का पास आर्डर जारी किया जा रहा है उनकी बजट राशि आरटीई मद में उपलब्ध है। बजट की कमी/गलत मद में किसी भी स्थिति में पासआर्डर जारी नहीं करे।
- (v) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। अतः संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा के कार्यालयों द्वारा बजट की मांग राशि के सही व पूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का बजट अनुभाग मांग अनुरूप बजट राशि जारी करेंगे प्राप्त बजट राशि के अनुसार ही संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ऑनलाईन पास आर्डर जारी करेंगे।
- (vi) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित जि.शि.अ. मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। अतः संबंधित जि.शि.अ. मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) के कार्यालयों द्वारा बजट की मांग राशि के सही व पूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बजट अनुभाग से समेकित रूप से बजट डिमांड की जावेगी जिसके आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा मांग के अनुरूप एकमुश्त बजट राशि जारी की जावेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्राप्त बजट राशि में से संबंधित जि.शि.अ. मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों को उनकी मांग के अनुसार बजट राशि आवंटित करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से प्राप्त बजट राशि के अनुसार ही संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ऑनलाईन पासआर्डर जारी करेंगे।
- (vii) संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय पासआर्डर जारी करते समय संबंधित गैर सरकारी विद्यालय का बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड संख्या आवश्यक रूप से मिलान कर लें। सही नहीं होने की स्थिति में ऐसे विद्यालय का पासआर्डर जारी नहीं करें तथा बैंक खाता संख्या एवं बैंक IFSC कोड सही करवाकर ही पास आर्डर जारी करें।
- (viii) संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर अपने नियंत्रणाधीन समस्त गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देश प्रदान करावें कि वे क्लेम बिल संबंधित कार्यालयों में रजिस्टर्ड (एडी) डाक से समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा उसी दिन आरटीई वेब पोर्टल पर उसका इन्द्राज करें।
- (ix) आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर पासआर्डर जारी करने, बिल बनाने, क्लेम बिल जारी करने, क्लेम बिल निरस्त करवाने के समय संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/गैर सरकारी विद्यालय द्वारा अनुभूत की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित आरटीई के केन्द्रीय कंट्रोल रूम (Central Control Room) जयपुर के दूरभाष नंबर 0141-2719073, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151-2220140 तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151-2226055 पर संपर्क करें तथा समस्या का पूर्ण

विवरण संबंधित कार्यालय द्वारा पत्र लिखकर केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर के ई-मेल आईडी rteccrhelp@gmail.com पर मेल करे।

नोट-

1. बजट के संबंध में निदेशालय द्वारा लगातर मोनिटरिंग की जाती है एवं कार्यालयों को बजट जारी/समर्पित करवाने हेतु प्रफोर्मा भी जारी किया जाता है। अतः अनावयक रूप से विद्यालय द्वारा जनरेट किये गये क्लेम बिल एवं कार्यालय द्वारा जनरेट किये गये पासऑर्डर की प्रतियां निदेशालय में प्रेषित नहीं करे।
2. मान्यता/डाटाबेस संबंधि कार्य हेतु www.rajpsp.nic.in पर मान्यता/डाटाबेस टेब (Tab) के अंतर्गत संपर्क विवरण उपलब्ध है। अतः मान्यता/डाटाबेस संबंधित कार्य हेतु उन्हीं दूरभाष नंबर पर संपर्क करें जिससे सही जानकारी प्राप्त की जा सके।

केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर:-

दूरभाष नंबर- 0141-2719073 (जयपुर)

Email ID- rteccrhelp@gmail.com

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर:-(प्रा./उ.प्रा. वि./बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा कार्यालयों के संबंध में)


दूरभाष नंबर- 0151-2220140 (बीकानेर)

Email ID- ddrtebknr@gmail.com

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर:-(मा/उ.मा. विद्यालय/जिशिअ मा.शिक्षा कार्यालयों के संबंध में)

दूरभाष नंबर- 0151-2226055 (बीकानेर)


Email ID- ad.rte.dse@rajasthan.gov.in



निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-5) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) से उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु संख्या 3 (v) एवं (vi) के अनुसार बजट आवंटन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
7. संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी कार्यालय.....।
8. उपायुक्त (आरटीई), राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. प्रोजेक्ट प्रभारी आरटीई पोर्टल, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त तथा 2016-17 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण राशि के भुगतान हेतु आरटीई पोर्टल पर क्लेम बिल जनरेट करने एवं पास आर्डर जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को SMS द्वारा सूचित करने का श्रम करावें।
10. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (समस्त)..... को भेजकर लेख है कि अपने मंडल के अधीन बीईईओ/जिशिअ प्रा.शि/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करावें तथा कार्यालय में प्रभावी मोनिटरिंग कर की गई कार्यवाही से निदेशालय को प्रेषित करें।
11. सहायक लेखाधिकारी (बजट), बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि बिंदु संख्या 3 (v) एवं (vi) के अनुसार बजट आवंटन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर